न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 119/25 दायर दिनांकः 22.07.2025
जीसीएमएस नं. 2025/342

उनवान

सोमा पत्नि हरीराम जाति मीना नि. झारौटी तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––वादिनी

बनाम

1 जगदेवसिंह पुत्र निहालसिंह 2 नेहा पुत्री हरदेवसिंह 3 पदमसिंह पुत्र रूपसिंह 4 भावना पुत्री सरनामसिंह 5 मेवाराम पुत्र रूपसिंह 6 महावीरसिंह पुत्र हरदेवसिंह 7 यत्येन्द्रसिंह पुत्र सरनामसिंह 8 योगेन्द्रसिंह पुत्र हरदेवसिंह 9 विश्पेन्द्र पुत्र सरनामसिंह 10 वीरसिंह पुत्र रूपसिंह 11 सीमादेवी पत्नि सरनामसिंह 12 हुकमसिंह पुत्र निहालसिंह 13 हितेश पुत्र हरदेवसिंह 14 पूनम पुत्री हरदेवसिंह 15 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :–

1 श्री धर्मेन्द्र कुमार ––वादी

निर्णय दिनांक 19.11.2025

वादिनी वकील द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 342 रकवा 0.8700 हेक्टेयर वाके ग्राम पथैना तहसील भुसावर जिला भरतपुर मे स्थित है। जिसमे वादिनी एवं प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत 14 मुताविक राजस्व रिकार्ड जमावन्दी सम्वत 2075 लगायत 2078 मे दर्ज हिस्से अनुसार काविज काश्तकार एवं खातेदार है। तथा इसी प्रकार से मौके पर काविज रहकर शान्ति पूर्वक काश्त करते हुए राज लगान राज्य सरकार को अदा करते चले आ रहे है।

आराजी खसरा नम्बर 342 रकवा 0.8700 हेक्टेयर की आराजी वादिनी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व संयुक्त काश्तकारी की अविभाजित आराजी है, जिसका विभाजन अभी तक वादिनी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटस एण्ड बाउण्ड नही हुआ है। परन्तु मौके पर वादिनी एवं प्रतिवादीगण आराजी को अपने अपने हिस्से अनुसार बाहमी मनवट के आधार पर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन प्रतिवादीगण बहुत ही चतुर एवं चालाक किस्म के व्यक्ति है, जो वादग्रस्त आराजी मे से अच्छी अच्छी व मौके की आराजी को अपने कब्जे में लेकर बिना विभाजन कराये दीगर व्यक्तियो के लिए रहन, वय व मुन्तकिल करते हुए वादिनी को उसके निहित हिस्से की अच्छी व मौके की आराजी से बेदखल कर महरूम करने पर आमादा है। जबकि प्रतिवादीगण को बिना विभाजन कराये अच्छी व मौके की आराजी को किसी दीगर व्यक्तियो के लिए रहन, वय व मुन्तकिल करने का कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नही होते है।

दिनांक 19.07.2025 को वादिनीं ने आराजी का कानूनी रूप से विभाजन कराने के लिए प्रतिवादीगण से कहा, तो प्रतिवादीगण ने विभाजन से इंकारी करते हुए धमकी दी कि हम तो अच्छी अच्छी व मौके की आराजी को अपने कब्जे में लेकर किसी दीगर व्यक्तियो के लिए रहन, वय व मुन्तकिल करते हुए तुझे तेरे हिस्से की अच्छी व मौके की आराजी से बेदखल कर महरूम कर देगे, और तुझे अब आराजी पर किसी भी

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.

तरह से काश्त नहीं करने देगे। और तुझे आराजी से वंचित कर देगे। अतः वादिनी वादग्रस्त आराजी का विभाजन कानूनी रूप से बाई मीटस एण्ड बाउण्ड करा पाने की अधिकारी है।

वादिनी द्वारा निवेदन किया गया है कि विवादित आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द फरमाया जावे।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से की गई। नोटिस की ताईद में प्रतिवादीगण संख्या 3 व 7 स्वयं उपस्थित आये तथा प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 8 लगायत 14 बाद तामील उपस्थित नहीं आये। अतः इनके विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई गई।

हमने बहस पर उभयपक्ष को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 3 व 7 द्वारा विभाजन प्रस्ताव बाबत सहमति जताई गई।

अतः दावा वादिनी प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर कुरेजात रिपोर्ट हेतु तहसीलदार, भुसावर को लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार, भुसावर द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर 2025 में तैयार कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया।

हमने बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड तथा विभाजन प्रस्ताव का भली भांति अध्ययन किया गया। उक्त के आधार पर हम दावा वादी डिक्री किया जाना उचित पाते है।

अतः दावा वादिनी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आपके द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव अनुसार उभयपक्षकारान के मध्य खातेदारी की जावे तथा नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर) राज०